

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

कार्यवाही पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
62/20	188 RTA	अमीरपुर-14 गांव	दुबरी

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
पप्पू	बनाम	कमलेशबाई

वकील :- 3 नं. शंकर गोलमरी एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

11/20

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 08-12-20 को पेश हो।

Handwritten signature
18/11/20

8/12/20

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 13.12.20 को पेश हो।

Handwritten signature
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

13/12

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 23.12.20 को पेश हो।

Handwritten signature
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

3/01/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के बाइद तामील समन प्राप्त जो शां. क्रि. ई। प्रतिवादी गण बावतूड सूचना के अडप्लिकेट इनके विरुद्ध एक पत्रावली प्रतिवादी की जाती है। वास्ते साक्ष्यवादी पत्रावली दिनांक 09.03.21 को पेश हो।

Handwritten signature

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

शिविर.....~~भरखेडी~~.....पर पत्रावली पेश

हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित।

कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली

ब्यायालय में दिनांक.. 20/12/21

को पेश हो। *vr*

15/12/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। साक्ष्यवादी
नहीं उपस्थित। समझ-बूझ है वरन् साक्ष्यवादी
पत्रावली दिनांक 23/12/22 को पेश हो।

vr

23/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। साक्ष्यवादी
उपस्थित नहीं। समझ-बूझ है वरन् साक्ष्यवादी पत्रावली
दिनांक 9/3/22 को पेश हो।

vr

9/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। साक्ष्यवादी
उपस्थित नहीं। समझ-बूझ है अंतिम अवसर दिया
जाता है। वरन् साक्ष्यवादी पत्रावली दिनांक 9/3/22
को पेश हो।

vr

28/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित।
तीस बार आवाज पुकारवाई। कोई उपस्थित नहीं।
प्रकरण अदम हाजरी अदम पैश्वी रकारिज किया
जाता है। पत्रावली फेब्रुअल शुभार होकर दायित्व
दफ्तर हो।

vr

उपखण्ड अधिकारी
छबडा, जिला बारां (राज०)